(अपील संख्या एस–11–ए–2113/2025)

श्री अवधेश कुमार शर्मा बनाम जनसूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, तहसील–बी0के0टी0,/कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–लखनऊ।

समक्ष–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

कारण बताओ नोटिस

धारा 6(1)	मांगी गई सूचना/अनुतोष
13.08.2025	इस प्रकरण में अपीलार्थी ने ठेकेदारी किए जाने हेतु सक्षम स्तर से निर्गत किए जाने वाले चरित्र प्रमाण–पत्र के क्रम में अपने प्रेषित आवेदन पत्र पर अद्यतन स्थित एवं अन्य कतिपय बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी हैं। जनसूचना अधिकारी ने अभी तक कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई है।

अपीलार्थी श्री अवधेश कुमार शर्मा स्वयं उपस्थित हैं। विपक्षी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, जनपद–लखनऊ की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्री शरदेन्दु सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहयोगी के रूप में तहसीलदार, तहसील–बी0के0टी0 की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती दीपिका मिश्रा, संग्रह अमीन उपस्थित हुईं। प्रश्नगत मामले में गत दिनांक 07.01.2026 को जनसूचना अधिकारी को अन्तिम अवसर निर्गत करते हुए इस आशय की नोटिस निर्गत की गई कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं 15 दिन के भीतर टेबलफार्म में बिन्दुवार (यदि संलग्नक है तो साथ में संलग्न करें) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

इस प्रकरण में अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 13.08.2025 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से सूचना मांगी थी। अपीलार्थी ने ठेकेदारी किए जाने हेतु सक्षम स्तर से निर्गत किए जाने वाले चरित्र प्रमाण–पत्र के क्रम में अपने प्रेषित आवेदन पत्र पर अद्यतन स्थित एवं अन्य कतिपय बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी हैं। प्रकरण में क्रमशः दिनांक 20.02.2026 को नोटिस निर्गत किए जाने के बावजूद आज सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी न तो उपस्थित हैं और न ही उनका कोई लिखित अभिकथन पत्रावली पर उपलब्ध है।

''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा–7(1) के अन्तर्गत 30 दिन के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। प्रकरण में लगभग पांच माह का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अभी तक अपीलार्थी को सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसूचना अधिकारी सूचनाएं नहीं देने के दोषी हैं और उनके द्वारा ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है। प्रकरण में नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया जाना चाहिए।

फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए से **जनसूचना अधिकारी, जिलाधिकारी, कलेक्ट्रेट, जनपद–लखनऊ, श्री पवन कुमार जायसवाल, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट–(07)** को इस आशय की नोटिस निर्गत की जाए कि 15 दिन के भीतर अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएं एवं अगली सुनवाई तिथि पर वे आयोग के समक्ष **व्यक्तिगत तौर** पर उपस्थित होकर बताएं कि क्यों न सूचना नहीं देने के लिए उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 31.03.2026 को प्रस्तुत हो।

25.02.2026